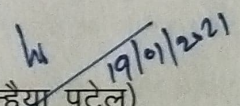


पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक-18-03-2010 में
उल्लिखित बिन्दुओं से सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एस०एच-43) के कि०मी० चैनेज 4.420 से 5.820 तक बॉयी पटरी पर गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु कार्य प्रस्तावित है। गैर वानिकी कार्य का अनुमति पत्र जारी होने के पश्चात गैस पाईप लाइन बिछाये जाने का कार्य करते समय भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-03-2018 द्वारा बिन्दुवार दिशा निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।


(सतीश चन्द्र वर्मा)
सहायक महाप्रबन्धक,
टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०,
मुरादाबाद।


(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रमोद
मुरादाबाद

